

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना, मेरठ।

फाईन रिपोर्ट / फौज0 वि0 वाद सं0-41/2025
देवेन्द्र कुमार बनाम अज्ञात

मुकदमा अपराध संख्या-342/2024
अन्तर्गत धारा-305। ए। बी.एन.एस..
थाना- मवाना, जिला- मेरठ

दिनांक:-30.08.2025

पत्रावली प्रस्तुत। वादी मुकदमा अनुपस्थित है।

पत्रावली एवं केस डायरी का अवलोकन किया। विवेचक द्वारा प्रकरण में विवेचना उपरांत अंतिम आख्या सुरागरसी व पतारसी में प्रेषित की गयी है। वादी मुकदमा जारी नोटिस के उपरांत अनुपस्थित है। एफ.आई.आर. अज्ञात में दर्ज है। विवेचना में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अंतिम आख्या लम्बित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यमान परिस्थितियों में प्रस्तुत प्रकरण में प्रेषित अंतिम आख्या को स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार अंतिम आख्या स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण मुकदमा अपराध संख्या 342/2024 अन्तर्गत 305। ए। बी.एन.एस..
थाना-मवाना, जिला मेरठ में प्रेषित अंतिम आख्या स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

। प्रशान्त मौर्य।
न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना
(मेरठ)
I.D.No.UP.3377